

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्पराजसमन्द.....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खटूकड़ा
व भू.अ.नि. बनेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खटूकड़ा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 226, 171 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	खटूकड़ा	226	लहर लाल पुज नारन भील	लहर लाल पुज नारन भील
		171	लहर लाल पुज नारन भील	लहर लाल पुज नारन भील

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमगरा

क्रमांक:- 321

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर घालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री लहर लाल पुज नारन भील
3. रक्षित पत्रावली। लहर लाल पुज नारन भील को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमगरा